..(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 04/2023-State Tax (Rate)

Dated: 4.5./.5../2023

No. F.3 (\$5)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/\$\frac{4}{7}\$ - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Government's Notification, No.2/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against S. No. 94, in Column (3), after the item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely: -

- "(iii) Rab,other than pre-packaged and labelled".
- This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023. 2.

Note: - The principal notification No. 2/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 13/2022 - State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (38)/Fin.(Exp-1)/2022-23/DS-I/231, dated the 21th, March, 2023.

> By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> > (Ravinder Kumar) Dy. Secretary I (Exp.)

No. F.3 (45)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 447

Dated: 25_1.5_/2023

Copy forwarded for information to:-

The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, 3. New Delhi.

Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.

The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. 6.

The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, 7.

Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.

- The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, 9.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 11. Website.
- 12. Guard File.

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary I (Exp.) (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय–I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या- 04/2023-राज्य कर (दर)

विनांक: 25.../ 2023

सं.फा.03(\(\sqrt{5} \) / वित्त(त्यय-1) / 2022-23 / डीएस-1 / \(\sqrt{5} \) : दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहतप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), जिसे सं.फा. 03(15) / वित्त(राजस्व-1) / 2017-18 / डीएस-VI / 374, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना की,अनुसूची में, क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) राब, उनसे भिन्न जिन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो ";

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017—राज्य कर (दर), को सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व—I)/2017—18/डीएस—VI/374, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग—IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2022—राज्यकर (दर), जिसे सं.फा.03(38)/वित्त(व्यय—I)/2022—23/डीएस—I/231,दिनांक 21 मार्च, 2023 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग—IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> ्रिवेन्द्र कुमार) उप सचिव(व्यय– I)

सं.फा.03(\$\frac{\sqrt{5}}{5})/वित्त(व्यय—I)/2022—23/डीएस—I/\$\frac{\sqrt{5}}{5} वित्तांकः 25...../2023 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग—चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3 प्रधानसचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

प्रधानआयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय,

नई दिल्ली।

वित्तमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नइ 'दिल्ली।

11 वेबसाईट।

12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव(व्यय- I)